समुदाय के नेतृत्वकर्त्ताओं के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

ai
action india

WaterAid

स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली

आज औरतों ने अपनी एक पहचान बनाने के लिये खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। अपने घर व परिवार में समानता के लिये आवाज़ उठा रही हैं। औरतें अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हैं, इसलिये वह आज अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं और उनके अधिकारों के लिये भी लड़ रही हैं। जेण्डर समानता को मानते हुये हिंसा मुक्त परिवार के द्वारा सामाजिक बदलाव की बात कह रहे हैं।

2009 में उत्तर–पूर्वी दिल्ली में महिलाओं की अगुवाई से स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली के लिये वाटसन कमेटी का निर्माण किया गया और सरकारी व्यवस्था पर जनहित में काम करने के लिये दबाव डालने लगे। जन आधारित काम हमारी ताकत है। जनसुविधा पाना हर नागरिक का अधिकार है। औरतों की अगुवाई की एक नई पहल हुई और वह घर से बाहर, मैं से हम तक, की आवाज़ देते हुये नागरिक अधिकार के लिये कदम उठा रही है।

दिल्ली महानगर देश की राजधानी लोगों को जीविकोपार्जन के लिये आकर्षित करती है। इसलिये गाँवों और छोटे शहरों से दिल्ली की तरफ तेजी से पलायन हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जरूरतों को पूरा करना व पर्याप्त जनसुविधाओं के लिये नई रणनीति की जरूरत है ताकि लोग सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

संगठन और सामूहिक प्रयास

विषय वस्तु

मानवाधिकार क्या और कैसे पायें

भोजन का अधिकार
स्वस्थ्य जीवन जीने का अधिकार
शिक्षा का अधिकार (RTE)
रोजगार का अधिकार
सम्मान व इज्जत के साथ, भयमुक्त, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार

विभाग की जानकारी, प्रक्रिया

बेहतर जीवन बनाने के लिये

संगठन में ताकत

74 वॉ संविधान संशोधन मौहल्ला/वार्ड सभा

भागेदारी

आर.टी.आई. RTI

जवाबदेही

परिचय

यह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका समुदाय आधारित संगठनों के लिए, जोकि समुदाय का नेतृत्व करते हैं, उनके लिए इस सोच के साथ तैयार की गई है कि वे इसका उपयोग कर समुदाय के लोगों को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी दें और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठित होकर प्रयास करें। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संबंधित सरकारी विभागों एवं जनप्रतिनिधियों से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए आवाज उठायें एंव नीतिगत बदलाव के लिए समुदाय से राज्य स्तर तक प्रयास करते रहें।

अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न अधिकारों एवं प्रयासों की जानकारी इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका में दी गई है। उम्मीद है कि यह मार्गदर्शिका, गरीब एवं वंचित समुदाय आधारित संगठनों एवं समुदाय के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सकता है, जिससे वंचित समुदाय अपने प्रयासों से अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते है।

इस मार्गदर्शिका में संगठन के महत्व, समस्याओं को पहचानने की कला एवं निदान के रास्ते को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए जहाँ 74वाँ संविधान संशोधन, के प्रावधानों खासकर मौहल्ला सभा के उपयोग के बारे में बताया गया है, इसके माध्यम से स्थानीय स्तर की समस्याओं के हल के नियोजन को अच्छी तरह से लागू करने के लिए आम लोगों में एक समझ बन सके और समुदाय के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

देवेन्द्र कुमार
प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर
स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली

इस मार्गदार्शिका का निमार्ण एक्शन इंडिया स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली प्रोजेक्ट के प्रशिक्षक समूह विद्या, मनोरमा, रमज़ान, वीरमती, राजदुलारी, माहरानी, कौशल्या और प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर देवेन्द्र कुमार के सहयोग से हुआ।

प्रत्येक पाठ निम्नलिखित भागों में विभाजित है

परिचय

उद्देश्य

समय-अवधि

विषयवस्तु

प्रक्रिया

परिणाम

मूल्यांकन

फॉलोअप

दस्तावेजीकरण

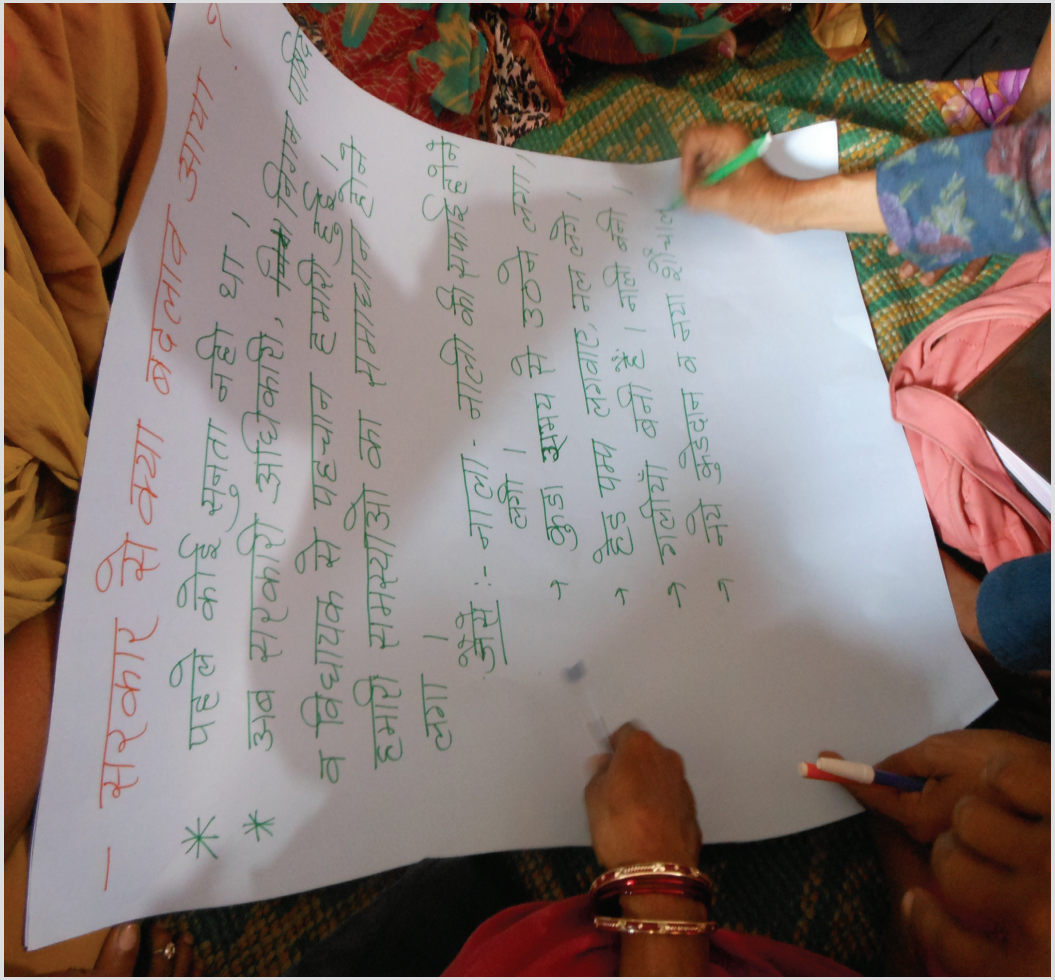

संगठन और सामूहिक प्रयास

समय अवधि
2 दिन, 3–3 घंटे

परिचय

बस्ती की समस्या और उसके निदान के लिये, सभी की भागीदारी के साथ अपने अधिकारों को सरकार से प्राप्त करना। अपने रोजमर्रा की सुविधाओं जैसे पानी, स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाना और घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ बनाना, जिससे स्वस्थ जीवन जी सके।

उद्देश्य

- संगठन बनना, समुदाय के लोगों को जागरूक करना एवं संगठित तरीके से अपनी समस्याओं का निदान करना।
- संगठित होकर समुदाय की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों की पहचान करना।
- सेवा प्रदाता संस्थानों के कार्य एवं जिम्मेदारियों को जानना।
- समुदाय की समस्याओं के निदान के लिये दबाव बनाना।
- सरकारी विभागों एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा विकास के लिए फण्ड का प्रयोग करवाना।

विषय वस्तु

- संगठन की जरूरत क्यों? संगठन का महत्व, कार्य की जिम्मेदारी, संगठन से आत्मशक्ति का विकास, निर्णय लेने में सुविधा, किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं।
- बुनियादी सुविधाएं जिसके बिना जीवन जीना असंभव। नागरिक होने के नाते संविधान में अधिकार।
- संगठित होकर सुविधाओं को प्राप्त करने में क्या–क्या कठिनाईयाँ हैं उसको पहचानना, समझना, निदान के वैकल्पिक तरीके निकालना।
- निदान के लिए संबंधित विभागों के बारे में जानकारी, विभागों से तालमेल बनाने के तरीके के बारे में जानना।
- जन प्रतिनिधियों से सुविधाओं की मांग करना।

आवश्यक सामग्री

- संगठन के गीत (मेरे समूह की पँचलड़ियाँ.....)
- खेल के माध्यम से संगठन का महत्व बताना (लकड़ी का गड्ढर इत्यादि)

प्रदर्शन

फिल्म: एक साथ एक राह

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- खेल के माध्यम से संगठन के महत्व को बताना– धागेवाला और शेर और बकरी।
- संगठन एवं जिम्मेदारी को बांटना।
- समुदाय में कौन–कौन सी बुनियादी सुविधा उपलब्ध है उस पर चर्चा करना। सुविधाएँ समुचित और कार्यरत हैं कि नहीं, पर चर्चा।
- सुविधा किसे, इसके लिए क्या वैकल्पिक निदान हो सकते हैं। चर्चा – आपस में अगुवाई कौन करेगा।
- संबंधित विभाग, कार्यालय, स्थान, अधिकारी, रखरखाव।
- जन प्रतिनिधि, काम, बजट उपयोग।

फॉलोअप

- संगठन बनाने की शुरूआत कर रहे हैं या नहीं। संगठन के प्रति सोच में बदलाव।
- समस्याओं के लिये अगुवाई कर रहे हैं या नहीं।
- सुविधाओं में सुधार हो रहा है या नहीं।

दस्तावेजीकरण

- संगठन कितने बने।
- किस समूह ने कितना काम किया।
- सदस्य संख्या
- प्रगति क्या–क्या हो रही है।
- गतिविधि के फोटोग्राफ

परिणाम

- समुदाय के लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये एकजुट होंगे।
- समस्याओं की पहचान करने में ज्ञान बढ़ेगा।
- निदान के लिये सोच विकसित करेंगे।
- अपने अधिकारों के बारे मे मांग करेंगे।
- बुनियादी सुविधाओं की सेवाओं में सुधार आना प्रारम्भ होगा।

विभाग की जानकारी, प्रक्रिया और चरण

समय अवधि
2 दिन, 3–3 घंटे

परिचय

- सेवा प्रदाताओं के बारे में समुचित जानकारी देना।
- उनसे बात करने के तरीकों के बारे में बताना।
- कार्य होने के दौरान निगरानी करना।
- आवेदन पत्र लिखना।

उद्देश्य

बुनियादी सेवाओं को देने वाले सरकारी विभाग कौन–कौन से है, उनकी क्या–क्या जिम्मेदारियाँ हैं, संबंधित कर्मचारी एंव अधिकारियों एवं उनके कार्यालयों के बारे मे जानकारी, जिससे समुदाय के लोग उन से सर्म्पक करते हुये अपनी समस्याओं का निदान करवा सकें।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम
आयुक्त
उपायुक्त
सहायक आयुक्त
सेनेटरी सुपरीटेंडंट
सेनेटरी सुपरवाईजर

दिल्ली जल बोर्ड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मुख्य अभियंता
अधीक्षण अभियंता
अधिशासी अभियंता
सहायक अभियंता
कनिष्क अभियंता

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मुख्य अभियंता
अधीक्षण अभियंता
अधिशासी अभियंता
सहायक अभियंता
कनिष्क अभियंता

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- विभागों के बारे में प्रतिभागियों की समझ के बारे में जानना। अलग–अलग विभागों के बारे में विस्तृत जानकारी देना। विभाग की प्रकिया के बारे में बताना।
- जन प्रतिनिधियों का विभाग में हस्तक्षेप कहाँ और कैसे।
- समुदाय एवं संगठन की भूमिका के बारे में बताना।
- जन सुविधाओं की निगरानी कैसे करनी है।

विषय वस्तु

- कौन–सी बुनियादी सुविधायें, किस सरकारी विभाग से मिलती हैं।
- विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में जानकारी।
- विभागों से काम करवाने की प्रक्रिया।
- चुने हुये प्रतिनिधियों की भूमिका।

फॉलोअप

- समुदाय के कितने लोगों ने विभागों में जाना शुरू किया।
- उन्हें क्या-क्या समस्याऐं आ रही हैं।
- उनकी जानकारी में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।

मूल्यांकन

- समुदाय से कितने लोगों ने सरकारी विभागों से सर्म्पक किया और काम को करवाया।
- जन प्रतिनिधियों का कितना सहयोग प्राप्त हुआ।
- जन-सुविधाओं से उनके जीवन स्तर में कितना बदलाव आया।
- निगरानी समिति द्वारा की गई निगरानी से समुदाय को क्या सीख मिली।

दस्तावेजीकरण

- आवेदन पत्र की प्रति।
- जनसुविधाओं से कितने लोगों को लाभ मिला।

परिणाम

- प्रतिभागियों को सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी होगी।
- बुनियादी सुविधाओं के लिए संबंधित विभागों से सर्म्पक कर सकेंगे।
- उचित रास्ते पर चलकर कार्यवाही करेंगे।
- जन प्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना।
- जन-सुविधाओं में सुधार/बढ़ोत्तरी होगी।
- निगरानी करने से कार्य सही प्रकार से होगा।

Women's Rights are Human Rights

किसी भी व्यक्ति को
बिना किसी भेदभाव के
सम्मानपूर्वक जीने के साथ-साथ
शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, धर्म,
राजनीति, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ
अपने घर में भयमुक्त जीवन जीने
का अधिकार ही
मानवाधिकार है।

मानव के हित में बनाए गए अधिकार ही मानवाधिकार है।
अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए दूसरों के मानवाधिकारों का हनन ना करें।

मानवाधिकार - क्या और कैसे पायें

समय अवधि
4 घंटे

भोजन का अधिकार

परिचय

खाद्य वितरण प्रणाली एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करना कि देश में पहली बार खाद्य सुरक्षा एक कानून के रूप में लोगों को मिला है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, यह उन्हें बताना।

उद्देश्य

- खाद्य सुरक्षा से संबंधित स्कीमों के बारे में जानकारी देना।
- कुपोषण दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और उन्हें प्राप्त करने के माध्यम की जानकारी देना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत जानिये अपना अधिकार।

विषय-वस्तु

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2010 के प्रावधानों को बताना।
- मौजूदा खाद्य वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी देना।
- राशन कार्ड के बारे में जानकारी व समेकित बाल विकास योजना पर चर्चा।
- कुपोषण की स्थिति एवं उसे कम करने की प्रक्रिया की जानकारी देना व सरकारी स्कूलों में मध्यान भोजन की व्यवस्था।

आवश्यक सामग्री

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2010 कानून, मध्यान भोजन, समेकित बाल विकास योजना।
- गीत - कोई यहाँ भूखा रह जाये और कोई मौज उड़ाये बता क्या हो रहा है.....
- स्कूल, आँगनवाड़ी, स्वस्थ और कुपोषित बच्चे का चित्र।

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- राशन व्यवस्था की मौजूदा स्थिति।
- मध्यान भोजन, समेकित बाल विकास योजना पर चर्चा एवं जानकारी।
- चित्र के माध्यम से कुपोषण से होने वाले दुष्प्रभाव, निवारण पर चर्चा।
- अपने अधिकारों को पाने के लिए क्या–क्या कदम उठाने चाहिए।

मूल्यांकन

- उचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त।
- कुपोषण की दर में कितनी कमी आई है।
- अधिकार की माँग करने से कितना बदलाव आया।

फॉलोअप

- समुदाय के लोग अपने अधिकार को पाने लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं।
- आँगनवाड़ी की खाद्य सामग्री एंव वितरण पर, समुदाय कितनी निगरानी कर रहा है।
- कुपोषण को कम करने के लिए अपने खानपान में कितना पौष्टिक आहार ले रहे हैं।

दस्तावेजीकरण

- गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री समुदाय के कितने परिवारों को मिल रही है।
- बच्चों के नापतोल के आँकड़े समुदाय स्तर पर उपलब्ध हैं।
- स्कूल एंव आँगनवाड़ी में सही तरीके से मीड डे मील उपलब्ध होना चाहिए।

परिणाम

- खाद्य सुरक्षा सभी स्कीमों के बारें में लोगों को जानकारी मिलेगी और जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करेगें।
- कुपोषण से बचाव के लिए उचित प्रबंध करेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत

जानिये अपना अधिकार

- हर व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम अनाज पाने का हकदार है। अनाज की कीमत होगी:
  - चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम
  - गेहूँ 3 रुपये प्रति किलोग्राम
  - मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम
- अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार हर महीने 35 किलोग्राम अनाज पाने के हकदार होंगे।
- गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार मुहैया कराया जायेगा।
- अनाज की तय की गयी मात्रा न मिलने पर हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है।

कौन आवेदन कर सकता है

- वे लोग जिनकी सालाना आमदनी एक लाख रुपये से कम हो।
- कमजोर समूह जैसे दिहाड़ी मजदूर और घरेलू उद्यमों और उद्योग-धंधों में लगे गैर-परम्परागत कामगार।
- अकेली महिलायें-विधवायें, कुवांरी महिलायें, पति से अलग रह रही या तलाकशुदा महिलायें।
- ऐसे परिवार जिनमें शारीरिक विकलांगता से प्रभावित चिकित्सा प्रमाणपत्रधारी सदस्य हों।
- एफ.जी.एच. श्रेणी वाली पुनर्वास बस्तियों में रहने वाले, ग्रामीण इलाकों में अधिसूचित की गयी आबादी में रहने वाले, झुग्गी-झोपड़ियों और खुले आसमान के नीचे रहने वाले।
- सुरक्षाविहीन बच्चे।
- परा-लैंगिक व्यक्ति।

कैसे आवेदन करें

- बतौर परिवार की मुखिया उम्र में सबसे बड़ी महिला आवेदन पत्र भरकर।
- प्रत्येक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में बनाये गए 'सहायता प्रकोष्ठ' इसमें उसकी मदद करेंगे।
- कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन करे।
- मोबाईल फोन के माध्यम से आवेदन करे।

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

आधार कार्ड की कापी या आवेदनकर्त्ता के आवास संबंधी किसी प्रमाण की कॉपी या राशन कार्ड की कॉपी या राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र की कॉपी।

खाद्य सुरक्षा

- चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम
- गेहूँ 3 रुपये प्रति किलोग्राम
- मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम

कहाँ आवेदन करें?

आवेदन पत्र स्थानीय खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में या 130 लैंगिक स्रोत केन्द्रों में जमा किये जा सकते हैं। योग्य परिवारों के नाम संबंधित सूचना-पटल पर सात दिनों तक लगे रहेंगे।

जीवन जीने का अधिकार (जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य)

समय अवधि
4 घंटे

परिचय

जिस प्रकार जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवन के लिए पानी, साफ–सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है।

उद्देश्य

- स्वच्छ एवं सुरक्षित जल के बारे में जागरूक करना।
- अस्वच्छ जल एवं अस्वच्छ वातावरण से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता लाना।
- बीमारियों से बचने के उपायों को बताना।
- जल एवं स्वच्छता के अधिकार के बारे में बताना।

विषय-वस्तु

- पानी पर राष्ट्रीय नीति – स्वच्छ जल उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है।
- अस्वच्छ जल एवं अस्वच्छ वातावरण से होने वाली बीमारियों की सूची।

आवश्यक सामग्री

- गीत – जल ही जीवन है, जल तो पावन है.....
- जल एवं अस्वच्छ वातावरण से होने वाली बीमारियों की सूची।
- घरेलू स्तर पर जल का उपचार।

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- स्वच्छ जल का महत्व बताना।
- समुदाय में जल जनित क्या-क्या बीमारियाँ हैं, उस पर चर्चा करना। घरेलू स्तर पर क्या निदान हो सकता है।
- राष्ट्रीय नीति, राज्य सरकार की नीति एवं पानी की आपूर्ति।
- जल और स्वच्छता के अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिये क्या-क्या कर सकते हैं।

प्रदर्शन

पानी के विषय पर फिल्म

मूल्यांकन

- जल जनित और अस्वच्छ वातावरण से होने वाली बीमारियों में कितनी कमी आई है।
- जल और स्वच्छता के अधिकार को पाने के लिए समुदाय ने कितनी कोशिश की।
- स्वच्छ जल के महत्व की जानकारी के बारे में कितनी बढ़ोत्तरी हुई।
- घरेलू स्तर पर जल का उपचार, वातावरण में स्वच्छता को किस हद तक समुदाय ने अपनाया।

फॉलोअप

- समुदाय के लोग स्वच्छ वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
- सरकार से जल और स्वच्छता के अधिकार को पाने के लिये एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं।
- राज्य सरकार की पानी की नीति को लागू करवाने के लिए माँग कर रहे हैं।
- घरेलू स्तर पर जल का उपचार कर रहे हैं। जल की गुणवत्ता क्या-क्या है इसके प्रति समुदाय के लोग जागरूक हो रहे हैं।

दस्तावेजीकरण

- कितने परिवार स्वच्छ जल के महत्व को समझते हुए अपने जीवन में उपयोग कर रहे है। कौन-कौन सी बीमारियाँ समुदाय में कम हो रही हैं। समुदाय में लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में कितना सुधार हो रहा है।
- जल और स्वच्छता अधिकार को पाने के लिए समुदाय द्वारा कितनी पहल की गई।

परिणाम

- स्वच्छ जल के महत्व पर समुदाय के लोगों में एक अच्छी समझ बनेगी।
- मानवाधिकार में जल और स्वच्छता की सरकार से माँग करेगे।
- घरेलू स्तर पर उपचार करेगें।
- राष्ट्रीय जल नीति, एंव राज्य सरकार की नीति को जानेगें।
- बीमारियों एंव उसके निदान के बारे एक अच्छी समझ बनेगीं।

शिक्षा का अधिकार

समय अवधि
3 घंटे

परिचय

भारत के संविधान की धारा 21 के अतंर्गत अगस्त 2009 में 'शिक्षा के अधिकार कानून' का निमार्ण किया गया। इस कानून के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है।

उद्देश्य

- शिक्षा के कानून 2009 के बारे में लोगों को जानकारी देना।
- प्राईवेट स्कूलों में निम्न वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान के बारे में बताना।
- स्कूल में नामांकन से संबधित, नियमों को बताना।

विषय-वस्तु

- बाल अधिकार के बारे में जानकारी।
- शिक्षा के महत्व को समझाना। शिक्षा के अधिकार कानून को विस्तृत रूप से बताना।
- नामांकन की प्रक्रिया एवं प्रावधानों की जानकारी।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

आवश्यक सामग्री

- गीत – पढ़ना है पढ़ना है मुझे पढ़ना है.....
- बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूँगी.....
- शिक्षा के अधिकार कानून की प्रति

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- शिक्षा क्यों जरूरी है, चर्चा।
- बाल अधिकार और शिक्षा। शिक्षा के प्रकार व जीवन में शिक्षा का महत्व।
- नामांकन के लिए क्या करेंगे।
- प्राईवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा–स्कूल व अभिभावक की जिम्मेदारी।

अनुसरण

- स्कूलों में नामांकन हो रहा है।
- समुदाय के लोगों द्वारा प्राइवेट स्कूलों में भी नामांकन।

मूल्यांकन

- समुदाय में कितने प्रतिशत बच्चों का स्कूल में नामांकन है।
- प्राईवेट स्कूलों में निम्म वर्ग के कितने बच्चों को लाभ मिला।
- कितने सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि।
- स्कूल प्रबंधन कमेटी में समुदाय के लोगों की प्रतिभागिता।

दस्तावेजीकरण

- बच्चों के नामांकन की जानकारी।
- समुदाय के कितने लोग स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य बने।

परिणाम

- बाल अधिकार के बारे में जानेंगे।
- अभिभावक शिक्षा के महत्व को समझेंगे।
- कानून के प्रावधानों की जानकारी होगी।
- अभिभावक अपने बच्चे का नामांकन सरकारी व प्राइवेट दोनो स्कूल में करवायेंगे।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोशिश होगी।

शिक्षा का अधिकार 2009

इस कानून का निर्माण, संविधान की धारा 21A के तहत हुआ है ये कानून 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ है। इस कानून के तहत 6–14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है।

कानून के कुछ मुख्य बिन्दू

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा।
- प्रत्येक बच्चों को फ्री पुस्तकें और दूसरी आवश्यक सुविधाऐं दी जाती हैं।
- इस अधिनियम में विकलांग बच्चों को भी स्कूल की मुख्यधारा में लाने व शिक्षा देने का प्रावधान है।
- किसी भी बच्चे की आयु प्रमाणपत्र न होने के कारण, स्कूल में दखिला देने से मना नही किया जा सकता है।
- प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरा होने पर निर्धारित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।
- यह कानून देश के सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होता है।
- सभी गैर सरकारी स्कूलों को कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी होगी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख से कम है।
- यह कानून शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना. स्क्रीनिंग प्रक्रिया, निजी ट्यूशन आदि को प्रतिबंधित करता है।
- इस कानून के तहत अभिभावकों के साथ–साथ शिक्षा अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला हो।

कानून की निगरानी – बाल अधिकारों की सुरक्षा के राष्ट्रीय आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है राज्य के कमिश्नर के साथ मिलकर कानून के लागू होने व कार्यान्वित होने की मॉनिटरिंग करता है।

स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (School Management Committee, SMC)

इस कानून में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक महत्वपूर्ण भाग है। इस कमेटी के माध्यम से स्कूल में प्रशासन व्यवस्था पर निगरानी व सवाल उठाने की जिम्मेदारी अभिभावकों और NGO सदस्यों को दी गई है। इस कमेटी का उद्देश्य बच्चों के बेहतर विकास के लिए मिलकर काम करना है। इस केमटी में अभिभावकों को मिलाकर, 12 से 15 लोग शामिल हो सकते हैं। इस कमेटी का सेक्रेट्ररी प्रिंसीपल होता है, कमेटी में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होनी अनिवार्य है। कमेटी की मुख्य जिम्मेदारियों में मिड डे मील की गुणवत्ता को परखना, स्कॉलरशिप के वितरण पर नजर रखना और स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के सन्दर्भ में अपनी राय देना इत्यादि है।

रोजगार का अधिकार

समय अवधि
2 घंटे

परिचय

जीवन जीने के लिए मानव को रोजगार की आवश्यकता होती है इसके लिए नागरिक को इस देश के किसी भी कोने में भ्रमण करने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है जिसे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।

उद्देश्य

- देश में रोजगार की स्थिति को जानना।
- बाल मजदूरी के अनुपात को जानना।
- सरकारी रोजगार योजनाएँ क्या-क्या हैं।
- समान कार्य के लिए महिला और पुरूष को समान मजदूरी मिले।

विषय-वस्तु

- व्यवसाय क्यों जरूरी है और व्यवसाय कितने प्रकार का होता है।
- शिक्षा और रोजगार का जुड़ाव।
- समुदाय में लोगों का व्यवसाय किस-किस प्रकार का है। आमदनी और खर्चे का अनुपात।
- संतोषजनक कार्य।
- सरकार के रोजगार की योजनायें। (मनरेगा)

आवश्यक सामग्री

- गीत (रोजगार से संबंधित गीत)
- रोजगार की सूची।
- बाल एवं बंधुवा मजदूरी की स्थिति। समान मजदूरी कानून।
- व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा। मनरेगा स्कीम।

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- बेरोजगारी के कारण आसमाजिक तत्वों की उत्पत्ति। (रोल प्ले के माध्यम से)
- देश में रोजगार की क्या स्थिति है इस पर चर्चा।
- बाल मजदूरी के कारण बच्चों के अधिकारों का हनन।
- असमान मजदूरी से महिला अधिकार का हनन।
- मनरेगा स्कीम की विशेषतायें।
- सरकार की रोजगार योजनाओं को जानना।

फॉलोअप

- रोजगार पाने के लिए युवा वर्ग कितनी कोशिश कर रहा है।
- बाल मजदूरी कहाँ तक कम हो पाई है।
- महिला को समान वेतन/मजदूरी मिलना शुरू हुआ है।
- मनरेगा स्कीम के अनुसार लोगों को रोजगार मिल रहा है।

मूल्यांकन

- बाल मजदूरी कितनी कम हो पाई है।
- सरकारी योजनाओं से कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है।
- कितने लोगों को लगातार सालों भर रोजगार मिल रहा है।

दस्तावेजीकरण

- बाल मजदूरी में कमी।
- रोजगार की स्थिति में सुधार।
- रोजगार से संबंधित योजनाओं का सही संचालन।

परिणाम

- रोजगार से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी बढ़ेगी।
- महिला एंव बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ेगी और उनके अधिकार के हनन को रोका जायेगा।
- सरकारी रोजगार से संबंधित योजनाओं का लाभ कोशिश करने पर मिल सकेगा।
- रोजगार गांरटी, मनरेगा स्कीम को जानेंगे।

सम्मान व इज्जत के साथ, भयमुक्त गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार

समय अवधि
2 दिन, 2–2 घंटे

परिचय

किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जीने के साथ–साथ शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, धर्म, राजनीति, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ अपने घर में भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार है।

उद्देश्य

- सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए नीति और कानून की जानकारी प्रदान करना।
- आम जीवन में भेदभाव को समझना।
- अपने अधिकारों को जानना, पहचानना और प्राप्त करना।

आवश्यक सामग्री

- गीतः इसलिए राह संघर्ष की हम चुने.....
- मानवाधिकार से सम्बंधित – राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
- संविधान में वर्णित अनुच्छेद एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- असम्मानपूर्वक जीवन जीने वाले वर्गों का अध्ययन एवं क्षेत्र

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून 2005 के तहत जानिये अपना अधिकार।

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- मानवाधिकार सभी को समान और किस–किस क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है, पर चर्चा।
- ऊँच–नीच, जाति–धर्म की व्यवस्था।
- विकलांगों (महिला, पुरुष, युवा, बच्चे) को सम्मान एवं इज्जत से जीने का अधिकर है ? भेदभाव होता है तो क्या करना चाहिए ?

फॉलोअप

- समुदाय के लोगों में मानवाधिकार के प्रति कितनी जागरूकता आयी है।
- अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए समुदाय क्या प्रयास कर रहा है।
- सरकार ने अपनी व्यवस्था में, सुधार लाने के लिए क्या–क्या सोचा है।

मूल्यांकन

- समुदाय किस हद तक मानवाधिकारों को प्राप्त करने में सफल रहा।
- उनके जीवनस्तर में क्या बदलाव आया।
- सामाजिक मान्यताओं में क्या परिवर्तन आया।

दस्तावेजीकरण

- कितने परिवारों ने मानवाधिकारों को पाने के लिए प्रयास किया है।
- सरकार ने कब–कब व्यवस्थाओं में सुधार लाने का प्रयास किया है।
- कितने परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं – प्रतिक्रिया।
- वंचित वर्ग, महिला, वृद्धों और विकलांग के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।

परिणाम

- राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के बारे मे जानेंगे।
- भेदभाव, ऊँच–नीच, जाति, के बीच के अन्तर में कमी आयेगी।
- अपने अधिकारों को पाने के लिए सभी वर्ग प्रयास करेंगे व उन्हें प्राप्त करेंगे।
- सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शुरूआत होगी।
- सरकार सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रदान की गई व्यवस्थाओं में सुधार लायेगी।

अधिकारों का हनन ही हिंसा है

अपने तरीके से जीवन जीने का
अच्छी शिक्षा पाने का
पेटभर अच्छा खाना खाने का
बिमारी में इलाज का
स्वच्छ वातावरण पाने का
शोषण के खिलाफ बोलने का
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का
सम्मान से सर उठाकर जीने का
आज़ादी से किसी भी क्षेत्र में रहने का
सुकून से जीने का

इन्हीं सब अधिकारों का जब किसी के द्वारा हनन/हस्तक्षेप होता है, तो ये हिंसा में बदल जाता है। तब हम उसकी मांग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी एक कानून की मांग होती है और एक लंबे प्रयास के बाद कानून बनता है। जैसा कि आज PWDVA, 2005 मौजूद है।

घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक 2005

13 सितम्बर, 2005 का ऐतिहासिक दिन, भारतीय महिलाओं के बरसों के कड़े संघर्ष का नतीजा है। ये वो दिन है जब हमारे देश के राष्ट्रपति ने घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक 2005 पर अपनी सहमति की मोहर लगाकर पूरे देश की महिलाओं को ये आश्वासन दिया कि भारतीय सरकार महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है।

सरकार महिलाओं को हिंसा मुक्त जीवन जीने के कानूनी अधिकार देने के प्रति वचनबद्ध है।

सुरक्षा और राहत घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत तुरंत प्रदान किये जायेंगे

सुरक्षा प्राप्त करने के कदम

1. घरेलू हिंसा की जानकारी

सुरक्षा अधिकारी, सेवा प्रदानकर्त्ता, पुलिस या कोई भी आम व्यक्ति महिला को घरेलू हिंसा से बचाव कानून, 2005 के बारे में बता सकता है, पर रिपोर्ट दर्ज करवाते समय उस पर पीड़ित महिला के हस्ताक्षर आवश्यक है।

2. शिकायत रजिस्ट्रेशन

- एक पीड़ित महिला शिकायत कर सकती है–
  - सुरक्षा अधिकारी, सेवा प्रदानकर्त्ता, पुलिस या किसी व्यक्ति के माध्यम से तथा आपातकालीन स्थिति में फोन तथा ईमेल द्वारा।
  - वो अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भी आवेदन दे सकती है।
  - अपने क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी को (D.I.R.)।
- डी.आई.आर. (Domestic Incident Report) घरेलू घटना (फार्म–1) यह घरेलू हिंसा रिपोर्ट दर्ज करने का एक फार्म है। घरेलू हिंसा कानून के तहत D.I.R. फार्म उसी तरह सामान्य है जैसे फौजदारी कानून में F.I.R. रिपोर्ट है। यह फार्म एरिया सुरक्षा अधिकारी के पास मिल सकता है। फार्म भरने की जिम्मेदारी तथा एक बार फार्म भरने के बाद सुरक्षा अधिकारी का फर्ज बनता है कि वह मजिस्ट्रेट तक पहुँचाए।
- फार्म भरने के बाद उसे पढ़कर पीड़िता को सुनाना सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है।
- फार्म भरने के बाद सुरक्षा अधिकारी मजिस्ट्रेट के लिए एक फार्म (फार्म–2) भरकर पीड़िता द्वारा मांगी गयी राहत की मांग करेगा।

3. कोर्ट से आपको क्या राहत मिल सकती है

मजिस्ट्रेट द्वारा महिला को निम्न राहत तुरंत प्रदान की जायेगी–

- हिंसा को तुरंत रोकना।
- अगर महिला को घर से निकाल दिया गया है, तो उसे उस घर में सुरक्षित रहने की व्यवस्था करवाना।
- दो दिन के अंदर हिंसाकर्त्ता को नोटिस देना।

यह एक इमरजैंसी कानून है इसलिए आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट द्वारा आपकी सुनवाई होना अनिवार्य है।

महिला की स्थिति को समझते हुए सुरक्षाकर्त्ता, मजिस्ट्रेट के सामने राहत आवेदन पत्र पेश करेगी।

कोर्ट द्वारा आपको 60 दिनों के अंदर निम्न राहत प्रदान की जायेगी–

1. सुरक्षा आदेश घर/कार्यस्थल पर
2. घर मे रहने का आदेश
3. आर्थिक सहायता – आपके लिए और बच्चों के लिए
4. मुआवजा – शारीरिक और मानसिक आघात के लिए
5. बच्चों की कस्टडी – 18 साल से कम उम्र के बच्चों को माँ के साथ सुरक्षित रहने का आदेश।
6. कोर्ट आदेश – अगर हिंसाकर्त्ता कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में कोर्ट महिला को सुरक्षा के आदेश दे सकता है।

ये कानून आपको 60 दिन के अंदर अपने घर में सुरक्षित रहने का हक दिलवायेगा। बिना किसी शुल्क के इस कानून द्वारा आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

कब सजा हो सकती है?

अगर हिंसाकर्त्ता कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है या दुबारा हिंसा करता है जैसे–मारपीट जारी रखता है, घर से निकालने या जान से मारने की धमकी देता है या खर्चा नहीं देता है तो फौजदारी कानून के अंतर्गत महिला/सुरक्षा अधिकारी पुलिस की मदद से हिंसाकर्त्ता को गिरफ्तार करवा सकती है। जिसमें एक साल की कैद और 20,000 रुपये जुर्माना हो सकता है।

74वाँ संविधान संशोधन - मौहल्ला/वार्ड सभा

समय
4 घंटे

परिचय

74वाँ संविधान संशोधन के माध्यम से आम जनता की विकास की योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था दी गई है। जिसमें आम जनता अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार योजनाओं को बनाने में अपनी भागीदारी निभा सकें।

उद्देश्य

- 74वाँ संविधान संशोधन के बारे जानकारी देना।
- स्थानीय स्वशासन के प्रावधान एवं कार्य।
- मौहल्ला/वार्ड सभा के बारे लोगों को जागरूक करना।

विषय-वस्तु

- सरकार के विकेन्द्रीकरण की प्रकिया में क्या-क्या प्रावधान दिये गये हैं।
- मौहल्ला/वार्ड सभा का आयोजन किस प्रकार किया जा सकता है।
- वार्ड समिति का गठन कैसे होता है।
- स्वशासन में जनता की भागीदारी कैसे होगी।
- स्थानीय स्वशासन के क्या कार्य और जिम्मेदारियाँ है।

आवश्यक सामग्री

- 74वाँ संविधान संशोधन की प्रति।

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- 74वाँ संशोधन का इतिहास। 74 वाँ संविधान संशोधन के प्रावधानों की स्थिति।
- विकेन्द्रीकरण की मुख्य विशेषतायें।
- स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का है।
- स्थानीय स्वशासन के कार्य एंव जनता की भागीदारी।
- वार्ड समिति का निर्माण एवं उसके कार्य। मौहल्ला सभा आयोजित करने के चरण।
- स्थानीय स्वशासन के सरकारी विभागों की जिम्मेदारियाँ एंव पारदर्शिता (आर.टी.आई)।
- स्थानीय स्वशासन में चुने हुये प्रतिनिधियों (निगम पार्षद, विधायक) की भूमिका।

अनुसरण

- मौहल्ला/वार्ड सभा के लिए समुदाय के संबंधित व्यक्ति एंव विभागों से सर्म्पक करेंगे।
- मौहल्ला/वार्ड सभा में लिए निर्णयों को लागू कराने के लिए समुदाय अगुवाई करेगी और निर्णय पर क्या हो रहा है ये जान पायेंगे।
- सरकारी योजनाओं का क्रियांवयन सही हो रहा है या नही।

मूल्यांकन

- समुदाय के लोगों की भागीदारी योजनाओं को बनाने में ली गई।
- मौहल्ला/वार्ड सभा के निर्णय के अनुकूल कार्य हुआ।
- समुदाय ने कार्य की निगरानी की। समुदाय चुने हुये प्रतिनिधि सरकारी विभागों के साथ एक अच्छा तालमेल बना।

दस्तावेजीकरण

- मौहल्ला/वार्ड सभाओं के निर्णयों, योजनाओं और निगरानी से संबंधित कागजातों का मौहल्ला/वार्ड समिति के द्वारा उचित रखखाव।

परिणाम

- समुदाय के लोगों में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
- मौहल्ला/वार्ड सभा के दौरान जनता अपनी जरूरत के अनुसार योजनायें बनाने में अपनी भागीदारी दे सकेगी।
- सरकारी योजनाओं में भागीदारी एवं पारदर्शिता होगी।
- सरकारी विभागों की अपने कार्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समय
4 घंटे

परिचय

भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि नागरिक किस प्रकार सरकार से सूचनाएं मांग सकते हैं और सरकार किस प्राकर जवाबदेह होगी। इस अधिनियम में भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यो के बारे में पता चलता रहे। यदि सारे कामों के बारे में खुली जानकारी होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है, इसे कहते है शासन में पारदर्शिता।

उद्देश्य

- सूचना के अधिकार के बारे में जागरूक करना।
- सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानो को बताना।
- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किस प्रकार से सूचना प्राप्त करेंगे।
- इन सूचनाओं का उपयोग किस प्रकार करेंगे।

विषय वस्तु

- सूचना के अधिकार का मतलब।
- सूचना के अधिकार कानून बनने का इतिहास।
- सूचना के अधिकार कानून में क्या–2 प्रावधान हैं।
- हम किस प्रकार की सूचना ले सकते हैं।
- सूचना देने वाले कौन होते हैं।
- शुल्क के प्रावधान।
- सूचना कैसे प्राप्त कर सकते है।
- सूचना न मिलने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।
- सूचना न देने की स्थिति में जुर्माना।

आवश्यक सामग्री

- सूचना के अधिकार कानून 2005 की प्रति।
- सूचना के अधिकार पर गीत।
- सूचना के अधिकार से संबधित प्रपत्र का नमूना।

चरण

- गीत के माध्यम से माहौल तैयार करना।
- सूचना के अधिकार कानून बनने का इतिहास को बताना।
- सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत किस प्रकार की सूचना ले सकते है विस्तृत रूप से बताना।
- सूचना देने वाले अधिकारियों के नाम व पते, पहले किससे सूचना मांगी जाती है।
- सूचना के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है।
- सूचना प्राप्त करने वाले प्रपत्र को भरवाना।
- अपील के विषय में बताना।

अनुसरण

- सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में लोगों की कितनी समझ बनी।
- समुदाय के कितने लोग सूचना पाने के लिए सोच रहे हैं।
- किन सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।
- पहल करने में कितनी अगुवाई कर रहे हैं।
- कितने लोगों ने डाली और क्या-क्या दिक्कते हैं।

मूल्यांकन

- कितने लोगों ने इस अधिकार का उपयोग किया।
- प्राप्त सूचनाओं से कहाँ तक संतुष्टि मिली।
- सूचनाओं का कहाँ तक उपयोग/प्रसार हुआ।
- कितने लोग प्रथम व द्वितीय अपील तक गए।
- सरकारी तंत्र के काम करने के तरीको में क्या सुधार आया।

दस्तावेजीकरण

- समुदाय के लोगों ने किन-किन विभागों में प्रपत्र डाला है।
- कितनों का जवाब प्राप्त हुआ है क्या जवाब प्रश्न के अनुसार ही आ रहा है?
- कितनों ने प्रथम व द्वितीय अपील की है।
- सरकारी तंत्र में बदलाव की क्या स्थिति है।

परिणाम

- सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी बढ़ेगी।
- सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए जानकारी का उपयोग करेंगे।
- प्राप्त सूचना से जागरूकता बढ़ेगी और सरकारी कामों के बारे में एक समझ बनेगी।
- सरकारी कामकाज में पार्दर्शिता होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- सरकारी तंत्र में सुधारात्मक बदलाव आ सकता है।

एक्शन इंडिया

दृष्टिकोण

नारीवादी विचार और सामाजिक बदलाव

एक्शन इंडिया एक स्वंय सेवी संस्था है। सन् 1976 से हमने दिल्ली की चार पुनर्वास बस्तियों में काम करना शुरू किया था। 1980 से हमने महिला सशक्तिकरण की दिशा में वहाँ रहने वाली स्थानीय महिलाओं को सबला संघ के रूप में संगठित किया और घरेलू हिंसा रोकने के लिये बस्ती–बस्ती में 1994 में महिला पंचायत बनाई। माँओं की माँग पर लड़कियों को सशक्त बनाने के लिये नन्ही और छोटी सबला समूह बने। आज इस समूह की लड़कियाँ स्कॉलरशिप लेकर आगे बढ़ रही हैं। बदलाव के लिये युवा लड़कों और पुरूषों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

2000 से एक्शन इंडिया दिल्ली की 14 जे.जे. कॉलोनी और पुर्नवास बस्ती में काम कर रही है।

हमें लगता है कि किसी भी समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए सामुहिक प्रयास ही एक सफल रास्ता है। इस प्रक्रिया को एक्शन इंडिया ने प्रयोग किया और शहरी गरीब बस्तियों में बहुत हद तक बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने में सफल रहा।

ai

action india

5/27A, Jangpura B, New Delhi-110014 ♦ www.action-india.org ♦ Email: actionindia1976@gmail.com